



बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शाहीद पीर अली खों मार्ग, पटना-800 014
संख्या-व.सं./27/2019-349

प्रेषक,

राकेश कुमार, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियन्ता,
राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल,
पथ निर्माण विभाग, लखीसराय,
मुख्यालय, मुंगेर।

पटना 14, दिनांक-20/04/2020

विषय - मुंगेर एवं जमुई जिलान्तर्गत NH-333 के 2, 14, एवं 43 वें कि०मी० पर (बरियारपुर-लक्ष्मीपुर खण्ड) RCC उच्चस्तरीय ब्रीज के निर्माण कार्य हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 1.206 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग - भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक FP/BR/Road/39045/2019/3893 दिनांक 11.04.2020

महाशय,

प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) द्वारा भारत सरकार ने विषयांकित परियोजना निर्माण हेतु 1.206 हेक्टेयर वन भूमि के अपयोजन के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की है-

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के प्रासंगिक पत्र में अंकित शर्त संख्या-2 b) के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के कार्यालय आदेश संख्या 03 दिनांक 01.11.2017 द्वारा निर्धारित मानक दर एवं वर्तमान मजदूरी पर क्षतिपूरक वनीकरण हेतु रू० 13,93,673/- (रूपये तैरह लाख तिरानवें हजार छः सौ तिहतर) मात्र का प्राक्कलन तैयार किया गया है।

3. परियोजना निर्माण के क्रम में 1.206 हेक्टेयर अपयोजित होने वाली वन भूमि का NPV की राशि 8.03 लाख रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से कुल रू० 9,68,418/- (रूपये नौ लाख अड़सठ हजार चार सौ अठारह) मात्र NPV के मद में प्रयोक्ता एजेन्सी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को उपलब्ध कराएगी।

4. उपर्युक्त NPV एवं CA मद की कुल राशि रू० 23,62,091/- (रूपये तईस लाख बासठ हजार इकानवें) मात्र को मंत्रालय के वेब-साईट parivesh.nic.in से e-challan generate कर Bihar CAMPA के account में online Mode द्वारा फंड ट्रांसफर कर राशि जमा कराई जाय।

5. उक्त जमा की गयी राशि को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, के e-portal पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा साथ ही साथ जमा की गयी राशि की सूचना हेतु इस कार्यालय को e-challan की मूल प्रति दी जाय।

6. उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रसंगाधीन पत्र में उल्लेखित कंडिका 1 से 12 में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए समेकित प्रतिवेदन इस कार्यालय को यथाशीघ्र समर्पित करने की कृपा की जाय ताकि भारत सरकार से विषयाधीन मामले में अन्तिम स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई की जा सके।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(राकेश कुमार)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- व.सं./27/2019-349 दिनांक-20/04/2020

प्रतिलिपि- वन प्रमंडल पदाधिकारी, मुंगेर वन प्रमंडल, मुंगेर/वन संरक्षक वन्यप्राणी अंचल, पटना को सानुलग्नक सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राकेश कुमार)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।